संख्या-116/2019/3803/30-3-19-11बी/2018

प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 26 सितम्बर, 2019

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय-औरैया में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु सारथी हॉल के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1823ए/2019-40ए/2018, दिनॉक 31-08-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय-औरैया में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु सारथी हॉल के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-118/2018/1917/30-3-2018-11बी/2018, दिनांक 08.06.2018 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था- उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० (यू०पी०आर०एन०एस०एस०) द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के व्यय के प्रस्ताव का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण करने हेतु दिनांक 20-03-2018 से गठित समिति द्वारा संस्तुत लागत के क्रम में शासनादेश संख्या-141/2018/2910/30-3-18-11बी/2018, दिनांक 12.10.2018 द्वारा रू0 155.90 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 100.00 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की गयी। तत्पश्चात दिनांक 20-03-2018 से गठित समिति द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित लागत रू0 168.93 लाख की शासनादेश संख्या-104/2019/1081(1)/30-3-19-11बी/2018, दिनांक 30.07.2019 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। उक्त के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय-औरैया में सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु सारथी हॉल के निर्माण हेतु निम्नवत तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	समिति द्वारा अनुमोदित/संस्तुत पुनरीक्षित लागत (रू0 लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि (रू0 लाख में)	द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत हेतु धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय औरैया में सारथी हाल का निर्माण	उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०	**168.93**	**100.00**	**68.93**
					योग 68.93 लाख

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/57 दिनांक 26.08.2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर समक्ष स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टयॉ मानक एवं गुणवता की जिम्मेदारी परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश की होगी तथा यह सुनिश्चित करेगें की कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(5) स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के संगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(9) परिवहन आयुक्त द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(10) परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुपलीकेसी) को रोकने के दृष्टिगत प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(12) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, इसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि बिना मूल्यांकन समिति के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(13) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04 सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हाल का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-116/2019/3803(1)/30-3-2019, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- संभागीय परिवहन अधिकारी-कानपुर।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० (यू०पी०आर०एन०एस०एस०)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।